न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 83/2024
दायरी दिनांक 14.10.2024

शिशपाल पुत्र दुर्गाराम जाति जाट निवासी दीनवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राज)
प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री महेन्द्र नेमीवाल एडवाकेट

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 30.01.2025

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है विाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद् में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 448 के वर्तमान खसरा नम्बर 917 रकबा 3.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 918 रकबा 1.14 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 5.12 हैक्टर भूमि अवस्थित है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 916 रकबा 0.01 हैक्टर भूमि अवस्थित है जो कि प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारों की खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि है।प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी उसके पिता एवं अन्य सह खातेदारों की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारीयों की गलती वभूल से प्रार्थी के पिता का नाम दुर्गाराम पुत्र खम्भाराम की जगह दुर्जाराम पुत्र खम्भाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम दुर्गाराम पुत्र खम्भाराम है। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सही दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है प्रार्थी अपने पिता की मृत्यु होने पर फौती नामांतकरण दर्ज करवाने के लिए दिनांक 22/08/2024 को राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो प्रार्थी को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई है। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दर्ज भूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थी अपने नाम के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे है।वाद कारण दिनांक 22/08/2024 को प्रार्थी द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय मण्डावा से सम्पर्क किया तो तहसीलदार महोदय ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर रिकार्ड दुरूस्त करने से मना करने के कारण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 448 के वर्तमान खसरा नम्बर 917 रकबा 3.98 हैक्टर, खसरा नम्बर 918 रकबा 1.14 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 5.12 हैक्टर भूमि अवस्थित है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 916 रकबा 0.01 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुये प्रार्थी के पिता का नाम दुर्जाराम पुत्र खम्भाराम की जगह सही नाम दुर्गानाम पुत्र खम्भाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा द्वारा रिपोर्ट पेश की ग्राम मण्डावा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता न: 447 व 448 में प्रार्थीगण के पिता का नाम दुर्जाराम पुत्र खम्माराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थी का नाम दुर्जाराम पुत्र खम्भाराम के स्थान पर दुर्गाराम पुत्र खम्भाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वाके ग्राम मण्डावा के राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 447 व 448 में प्रार्थी के पिता नाम दुर्जाराम पुत्र खम्भाराम दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात एवं तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम दुर्गाराम पुत्र खम्भाराम है।अतः तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

निर्णय

अतः ग्राम मण्डावा के खाता संख्या 447 व 448 में दर्ज दुर्जाराम पुत्र खम्भाराम के स्थान पर दुर्गाराम पुत्र खम्भाराम कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है।पालनार्थ तहरीर तहसीलदार मण्डावा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा